संख्या–642 /26–ब0प्र0–2013–100(21)/2012टीसी

प्रेषक,

दीनानाथ,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

✓ निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ लखनऊ:: दिनांक:: 13 नवम्बर, 2013

विषयः– डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु चयनित ग्रामों में सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन तथा इटरलाकिंग टाइल्स को पूर्ण कराने हेतु एस0सी0पी0 के नवीन मानक के अनुसार अनुदान संख्या–83 में धनराशि रू0 2438.6075 लाख अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, पंचायती राज के पत्र संख्या–5/1572/2013– 5/8/2012, दिनांक 29 अक्टूबर, 2013 के कम में शासनादेश संख्या–447/ 66–2012–05/2012, दिनांक 17.05.2012 एवं डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत आंतरिक गलियों एवं नालियों के निर्माण के संबंध में पंचायती राज अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–1286/33–2–2012–4 आर0डी0/12, दिनांक 13 जून,2012, एवं शासनादेश संख्या–89/33–3–2013–100(20)/2012, दिनांक 28 जनवरी, 2012 तथा शासनादेश संख्या–366/33–3–2013–100(20)/2012, 06 जनवरी, 2013 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबंध एवं वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या– बी–1–640/ दस–2013–231/2013, दिनांक 28 मार्च, 2013 में दिये गये दिशा–निर्देशों के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत वर्ष 2013–14 में उक्त योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 18750.00लाख में से रू0 2187.344 लाख का प्रस्ताव समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ को अवमुक्त करने हेतु प्रेषित करने के उपरान्त अवशेष धनराशि रू0 14375.312 लाख में से रू0 2438.6075 लाख (रू0 चौबीस करोड़ अड़तीस लाख साठ हजार सात सौ पचास मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धो के अधीन, जनपदवार संलग्न फॉट के अनुसार, श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या–1425क0नि0प्र0/26–3–2013–13(21)/2013, दिनांक 10.10.2013 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित किया जायेगा।

(2)उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग स्वीकृत प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा।इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

(3)निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण वर्ष 2013–14 की अवधि में कार्यदायी विभागों द्वारा कार्य पर वास्तविक रुप से व्यय/उपभोग की आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा तथा व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–640/ दस–2013–231/2013, दिनांक 28 मार्च, 2013एवं डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास विभाग द्वारा इस संबंध में जारी किये गये अन्य समस्त आदेशों में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4)उपरोक्तानुसार अवमुक्त धनराशि संबंधित जिलाधिकारियों को आवंटित की जायेगी, जो इसे आवश्यकतानुसार राजकोष से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायेंगे। संबंधित कार्यदायी संस्था इस धनराशि को डिपाजिट खाते में जमा कर उसका डी.सी.एल. पद्धति से व्यय करेंगे। अधिष्ठान व्यय की धनराशि को परियोजना पर डेबिट करके लोक निर्माण विभाग द्वारा लेखा शीर्ष "1054–सड़क तथा सेतु–800–अन्य प्राप्तियॉ–01– प्रतिशतता प्रभारों की वसूली एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के प्राप्ति लेखा शीर्षक" 0515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–800–अन्य प्राप्तियॉ–02–प्रतिशतता प्रभारों की वसूली " में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा केडिट किया जायेगा।

(5)उपरोक्त के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। जिन मामलो में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहो तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलो में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(6)उक्त मदों में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में अनुदान संख्या–83 के "लेखाशीर्षक 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय– 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–05– समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन तथा इण्टर लाकिंग की व्यवस्था–24-वृहत निर्माण कार्य " के नामें डाला जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का व्यय योजना आयोग भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के लिए निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

(8)सी0सी0 रोड एवं के0सी0ड्रेन के निर्माण के संबंध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशानुसार ही प्रश्नगत धनराशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

(9)शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या–सीए–934/दस–2008–मित–1/2007, दिनांक 2–9–2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(10)निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0–13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशो द्वारा विनियमित होगी।

(11)स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण दो किश्तों में किया जायेगा। प्रथम किश्त का 75 प्रतिशत् व्यय होने के पश्चात अगली दूसरी किश्त आहरित की जायेगी।

(12) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल एवं वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

2– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या–ई–3–2140/दस–13, दिनांक 12.11. 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

संलग्नक :–यथोक्त

(दीनानाथ)
अनु सचिव

संख्या 642(1)/26–ब0प्र0–2013–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– प्रमुख सचिव पंचायती राज विभाग/लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग उ0प्र0 शासन।
3– निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उ0प्र0, लखनऊ।
3– जिलाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी/कोषाधिकारी संबंधित जनपद, उत्तर प्रदेश।
4– कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ/कलेक्ट्रेट लखनऊ।
5– मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत/मुख्य विकास अधिकारी, संबंधित जनपद, उत्तर प्रदेश।
6– अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत लखनऊ।
7– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3
8– वित्त (आय व्ययक) अनुभाग–1/2
9– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दीनानाथ)
अनु सचिव।